कार्यालय : जिला कलेक्टर, लखनऊ

पत्रांक :777 /अ.जि.अ.(भू.अ.)न.म.पा.–1, लखनऊ दिनांक : 18 जनवरी 2019

: सार्वजनिक सूचना :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संचालित मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप हेतु ग्राम सरसवा की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016" के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा तैयार की गई है।

2: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 5 तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यव में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सामाजिक समाघात ऑकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना पर उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा दि0 02–01–2019 को कक्ष सं0 14 लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग लखनऊ में लोक सुनवाई किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0 702 दि0 22–12–2018 जारी किया गया था, जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, कौमी खबरे व हिन्दुस्तान में दि0 28–12–2018 व 29–12–2019 में हुआ था। सुनवाई हेतु नियत तिथि कोई वयक्ति उपस्थित नही आया।

अतः इस सम्बन्ध में सर्व साधारण को पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में निम्नवत् लोक सुनवाई की जानी है।

क्रम सं	लोक सुनवाई हेतु नामित अधिकारी	ग्राम का नाम	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
3	उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ	सरसंवा	कक्ष सं0 14 लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग लखनऊ	30.01.2019	पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपरोक्तानुसार अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना का अवलोकन करले और यदि उक्त सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना पर उन्हे यदि कोई आपत्ति/सुझाव है तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव उपरोक्तानुसार नियत दिनांक/समय व स्थान पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

(कौशलराज शर्मा)
जिलाधिकारी, लखनऊ।